

आ- 1004 दि 19/9/2001

रूप क्रमांक 4
(देखिये नियम 12)



छत्तीसगढ़ शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक11037.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीयत समिति ~~रैमण्ड सिमेंट एजुकेशन सोसायटी~~
~~रैमण्ड सिमेंट वर्क्स~~ स्थित है ~~वाणगीर~~ तहसील में ~~वाणगीर-बाघी~~
~~साइट बागमालनगर साहस~~ जिला में अपना नाम परिवर्तित कर लिया है और अब वह ~~बागमालनगर एजुकेशन~~
~~सोसायटी, आरमण्डा तीर्थ प्लाट~~ नाम से ~~मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण~~
~~साइट तह. वाणगीर जिला~~ ~~छत्तीसगढ़~~ अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) की धारा 13 की उप-धारा (2)
के अधीन पंजीयत की गई है ।

दिनांक उम्मीद माह सितम्बर सन् 2001



समितियों के रजिस्ट्रार